राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःप.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 3997-4005 दिनांकः 29/3/2016

वित्तीय स्वीकृति आदेश

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.4(iv)कृ.यंत्र/2015-16/ 3635-44 दिनांक 10.03.2016 द्वारा "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति केन्द्रकेअन्तर्गतस्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों का क्रय आवेदक के स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किये जाने के आधार पर प्रदान की गई है।

"कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जाने एंवस्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों के उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसवाड़ा कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापनके आधार परकस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना हेतु आयुक्तालयद्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.4(iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 822-912 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों की लागत राशि की 40% राशि बैक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रावधान के अध्यधीन "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत क्रय किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की कुल लागत राशि रू. 8,30,000/- मात्र (अक्षरे रूपये आठ लाख तीस हजार मात्र) की 40% राशि, राशि रू. 3,32,000/- मात्र (अक्षरे रूपये तीन लाख बत्तीस हजार मात्र) का भुगतान बैक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में श्री आशीष डामोर ग्राम अगोरिया, ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा को किये जाने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसवाड़ा को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

बैक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी जो उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसावाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में आवेदक को स्वीकृत राशि के तुल्य राशि की बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसवाड़ा के पक्ष में होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जायेगा।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन
विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/3997-4005 दिनांक: 29/3/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि उदयपुर ।
5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद बांसवाड़ा को उनके पत्रांक पत्र क्रमांक एफ 2 ( ) उ.नि. कृ.(वि0)/बांस/2015-16/2860-64 दिनांक 27.03.2016 के क्रम मे प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैक एन्ड सब्सिडी के रूप में स्वीकृत राशि जो आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से 4 वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में होगी को उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसावाड़ा कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे। विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा बैक एन्ड सब्सिडी (Back end subsidy) के रूप में स्वीकृत राशि बैंक गारण्टी जो उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद बांसवाड़ा के पक्ष में होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जावे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री आशीष डामोर पुत्र श्री प्रकाश डामोर ग्राम अगोरिया, ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि "कस्टम हायरिंग केन्द्र अगोरिया" ग्राम पंचायत बालावड़ा, पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।

(एल. एन. कुमावत)
अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)